FORM NO. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति. जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना

मकबूल खान बनाम नायब तहसीलदार

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 26 वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/4/22	रिपोर्ट वारिस्ता होकर अपील अपीलान्ट पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कि जाकर नोटिस बनाम रेस्पो० जारी होकर पत्रावली दिनांक 05/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	
5/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पो० कि और से रीडर नायब तहसीलदार नीमकाथाना उप०। बहस वकील अपीलान्ट सुनी। बहस के दौरान बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा भूमि ख० न० 2774 रकबा 1.48 है में से 0.0650 है भूमि पर मकान निर्माण कर अतिक्रमी मानकर बेदखली व शास्ती 500 रुपये करते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा भूमि ख० न० 2774 रकबा 1.48 है में से 0.0650 है पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण नही किया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण कि गई भूमि का नाप भी नही लिखा है। [illegible] द्वारा अधिनस्थ न्यायालय [illegible] व दस्तावेज पेश [illegible] कोई उल्लेख नही किया गया। इस प्रकार जो निर्णय पारित किया गया है जो न्यायिक सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण पारित आदेश निरस्तनीय है।	

(हस्ताक्षर) (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:28 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख आ... जो इस हुकम ... तामील में जारी
	अपीलान्ट द्वारा कोई नया निर्माण नही किया गया है। जो निर्माण है वो लगभग 60-70 वर्ष पुराना है। ग्राम पंचायत के गठन से पूर्व का निर्माण है। विद्युत कनेक्शन ले रखा है। अपीलान्ट के चारो ओर आबादी बसी हुई है। वर्ष 2022 मे संशोधन विधेयक 23-3-2022 में राजस्थान विधान सभा मे पारित किया गया है। जिसमे यह भी स्पष्ट किया है कि नदी नालो व पानी के बहाव क्षेत्र व मन्दिर माफी की जमीन को छोडकर अन्य बसी हुयी कालोनी व आबादी में 31-12-2021 तक विकसित हो चुकी कालोनी के पट्टे दिये जा सकेगे। सुप्रिम कोर्ट की तीन जजो की बैंच ने लिमिटेशन एक्ट 1963 के अन्तर्गत व्याख्या की है कि निजि अचल सम्पति पर लिमिटेशन परिसीमा की वैधानिक अवधि 12 साल है। जबकि सरकारी अचल सम्पति के मामले में 30 वर्ष है। चारागाह भूमि में कदीम से जो मकान बनाये हुए है जिनका दिनांक 28-1-2011 के निर्णय के आदेश अनुसार चारागाह में बसे व्यक्तियो के पट्टे बनाने सम्बन्धित राज० सरकार व राजस्व मण्डल अजमेर की गाईड लाईन के अनुसार चारागाह में बस्ती आबादी क्षेत्र के मावालीप मकानो को वहां से नही हटाकर वहां के पट्टे जारी किये जावें। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.3.2022 को अपास्त फरमाया जावें। रेस्पो० द्वारा अपील से सम्बधित मूल पत्रावली पेश कि गई जो शामिल पत्रावली की गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध ... अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पटवारी हल्का योड द्वारा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:28 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

बनाम

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 26 वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जो धारा 91 L.R. Act कि रिपोर्ट पेश की गई जिसमें भूमि ख० नं० 2774 रकबा 1.48 है मे किस्म चारागाह मे अपीलान्ट द्वारा 0.0650 है पर अतिक्रमण करना बताया है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में नोटिस का जवाब व दस्तावेज पेश किए जो पत्रावली में शामिल है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में इनका स्पष्ट उल्लेख नही किया है। रिपोर्ट जो पटवारी हल्का द्वारा पेश कि गई उसके अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि रिपोर्ट के पिछे जो नजरी नक्शा बनाया है उसमे माप नही लिख रखा है। एवं ना ही अतिक्रमण कहा व कितने रकबे पर कर रखा है वो भी नजरी नक्शा में नही है। तथा ना ही चारो तरफ का नाप अंकित कर रखा है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट ने जो तथ्य अपील में अंकित किये है वो साबित होते है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा जो धारा 91 कि रिपोर्ट पेश कि गई है जो मौके पर जाकर तैयार नही कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट वास्तविक तथ्यो के विपरीत पेश कि गई है। जिसमे अतिक्रमित रकबे की दिशाओ का नाप जोख भी नही लिखा गया है। इस इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21-3-2022 को [illegible] किया गया है उससे पूर्व समस्त साक्ष्यो [illegible] किये बिना ही किया गया है। जो न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील में जो तथ्य अंकित किये है इनकी पुष्टि होती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:28 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा प्रस्तुत अपील को बल मिलता है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने से स्वीकार की जाती है। तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-22 अपास्त किया जाता है। एवं अपील अपीलान्ट न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अतिक्रमित रकबे की मौके पर जाकर रिपोर्ट मौका फर्द मय नजरी नक्शा जिसमें चारो दिशाओं का सही नाप जोख लिखा जाकर, अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी कि जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	(अनिल कुमार) (अनिल कुमार) नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:28 IST
Reason: SelfAttested